

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
क्रमांक : नर्सिंग/जोन कोटा/सा.-161-30713/2025/ दिनांक:-

आदेश

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिनकी राज्य सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने के कारण इनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से राज्य सेवा से नाम विलोपित किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्मिका का नाम	पदस्थापन जिला	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	नाम विलोपन तिथि
1.	विनीता कुमारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	कोटा	17.11.1982	06.04.2005	03.11.2024

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1.राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2.राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3.कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : नर्सिंग/जोन कोटा/सा.-161-30713/2025/16

दिनांक:- 23/01/2025

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन- कोटा।
3. अधीक्षक, जे.के.लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय,कोटा।
4. संस्थापन अधिकारी, डीपीसी/राजहैल्थ अनुभाग, मुख्यालय।
5. सम्बन्धित कार्मिका के आश्रित को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :22-01-2025 08:23:41